



ISO 9001 : 2008  
CERTIFIED

# उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि०,

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

विश्वेश्वरैया भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ

पी.बी.एस.-0522-2720670, 2720671, 2720665 फ़ैक्स 0522-2720846

पत्र संख्या- 144 / नोडल अधिकारी(नियुक्ति)/रानिनि/2016

दिनांक- 05 /07/ 2016

## कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत) के विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में साक्षात्कार निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

दिनांक 18.07.2016

5820229	अंकित गुप्ता
5920599	अनुराग कुमार सिंह
5920456	अभिषेक शर्मा
5920216	आनन्द कुमार सिंह
5920309	आशुतोष सक्सेना
5920181	अमरेन्द्र कुमार त्रिपाठी
5920638	सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव
5820334	हिमांशू उपाध्याय
5920468	बिन्दू वर्मा
5920152	मदन कुमार
5920144	आलोक यादव
5820692	श्याम सुन्दर मौर्या
5820664	राजेश कुमार
5920238	सत्यम कुमार
5920274	प्रबोध राजपूत
5820313	शिव बृजेश
5920077	निशान्त अग्रवाल
5820514	अमन पाठक
5920038	मो० सोहराब अंसारी
5820216	राहुल यादव
5820295	गौरव कुमार पान्डेय
5920675	बृजेश कुमार
5820315	गौरव कुलश्री
5820496	धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी
5920174	शोभित श्रीवास्तव
5920674	विशाल शर्मा
5820453	अरविन्द यादव

5820208	नमन वार्षीय
5920104	आशुतोष बाजपेयी
5920070	पंकज कुमार सिंह
5820340	दीपक मौर्या
5820577	मनीष कुमार
5820576	कुलदीप कनौजिया
5820211	वैभव आनन्द
5820364	प्रणव कुमार
5920517	अजीत सिंह
5920587	सन्तोष कुमार
5820658	विशाल विक्रम सिंह
5920391	यादवेन्द्र सिंह
5920669	गोपाल दीक्षित

इस सम्बन्ध में उक्त अभ्यर्थियों को डाक द्वारा साक्षात्कार पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

यदि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे निम्नलिखित अभिलेखों (मूल में) तथा एक सत्यापित छायाप्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के प्रथम तल कमेटी हाल में उपस्थित हो।

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल अथवा समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र)।
2. शैक्षिक एवं व्यवसायिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
3. अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू है)।
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू है)।
5. चरित्र प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत)।
6. यदि किसी विभाग/निगम में कार्यरत है तो उक्त विभाग/निगम द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह सूचित करना है कि उनके जाति प्रमाण पत्र में यह अंकित रहे कि आरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उनके माता-पिता की निरन्तर 03 वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय रूपये 08 लाख से अधिक नहीं है तथा उनके पास धन कर अधिनियम-1957 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है, यदि उक्त प्रमाण पत्र पूर्व में उपलब्ध नहीं कराया गया है तो साक्षात्कार के समय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, अन्यथा वे साक्षात्कार हेतु अर्ह नहीं होंगे।
8. विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागू है)।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि यदि उनकी शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेख साक्षात्कार के पूर्व परीक्षणोपरान्त अपूर्ण/असत्य पाये जाते हैं तो उनको साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में निगम प्रबन्धन का निर्णय अन्तिम होगा। मात्र बुलावा पत्र के आधार पर किसी को साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु कोई अधिकार नहीं होगा।

उक्त साक्षात्कार की तिथि के परिवर्तन/स्थगन का अधिकार निगम प्रबन्धन के पास सुरक्षित रहेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(अनिल गर्ग)  
नोडल अधिकारी (नियुक्ति)